यालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/165

प्रकरण संख्या 109/22

अनवान

1. मिठुसिंह पिता प्यारसिंह रावत निवासी बोरतलाई, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: :निर्णय: :— दिनांक :—19.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बोरतलाई पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर), तहसील कानोड जिला उदयपुर में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 111 पुराना 101 जिसमें प्रार्थी का नाम त्रुटि से वरदीसिंह रावत दर्ज कर लिया जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मिठुसिंह रावत है जिसे शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोरतलाई की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 111 में प्रार्थी का नाम वरदीसिंह पिता प्यारा जाति रावत सा. मंगरीफला दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी एवं मौतबिरानों द्वारा बताये अनुसार प्रार्थी मिठुसिंह पिता प्यारसिंह जाति रावत सा. मगरीफला को वरदीसिंह पिता प्यारा जाति रावत सा. मगरीफला के नाम से भी जाना एवं पहचाना जाता है। ग्राम बोरतलाई में वरदीसिंह पिता प्यारा व मिठुसिंह पिता प्यारसिंह रावत नाम का एक व्यक्ति है इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी के नाम मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, एवं विद्यालय रिकार्ड अनुसार मिठुसिंह पिता प्यारसिंह रावत है राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम वरदीसिंह पिता प्यारा रावत की बजाय मिठुसिंह पिता प्यारसिंह रावत दर्ज किया जाता है तो सह खातेदारों द्वारा सहमति स्वरूप मौका पर हस्ताक्षर कर किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः प्रार्थी का नाम वरदीसिंह पिता प्यारा रावत की बजाय मिठुसिंह पिता प्यारसिंह रावत दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:15 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को

GCMS संख्या 2022/... प्रकरण संख्या ... मिठुसिंह बनाम राज्य सरकार

दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी का नाम मौजा बोरतलाई पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड की खाता संख्या नये 111 में वरदीसिंह रावत दर्ज है जबकि सही नाम मिठुसिंह रावत है जिसे शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड की प्रति व विद्यालय का रिकार्ड प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी का नाम मिठुसिंह पिता प्यारसिंह रावत अंकित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत सांरगपुरा (भीण्डर) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रमाणित किया गया की वरदीसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वरदीसिंह नाम वास्तव में मिठुसिंह रावत है जो की प्यारसिंह के तीसरे पुत्र है। उक्त प्रमाण पत्र में सह खातेदार द्वारा अपनी सहमती प्रदान की। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की प्रार्थी मिठुसिंह पिता प्यारसिंह जाति रावत सा. मगरीफला को वरदीसिंह पिता प्यार जाति रावत सा. मगरीफला के नाम से भी जाना एवं पहचाना जाता है। ग्राम बोरतलाई वरदीसिंह पिता प्यारा व मिठुसिंह पिता प्यारसिंह रावत नाम का एक व्यक्ति है इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। तहसीलदार कानोड द्वारा नाम संशोधन की अनुशंषा की गई।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व अनुशंषा, सह खातेदारों की सहमति, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र व अनुशंषा एवं प्रार्थी के दस्तावेज के आधार पर यह पाया गया की प्रार्थी वरदीसिंह पिता प्यारा रावत का वास्तविक नाम मिठुसिंह पिता प्यारसिंह रावत है जो त्रुटि से वरदीसिंह पिता प्यारा रावत अंकित हो गया जिसे सुधारा जाना न्यायाहित में आवश्यक है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: :आदेश: :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बोरतलाई पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड की खाता संख्या नया 111 पुराना ... में प्रार्थी का नाम वरदीसिंह पुत्र प्यारा के बजाय वरदीसिंह उर्फ मिठुसिंह पिता प्यारसिंह रावत संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 19.09.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी